संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/16

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 17 मई, 2016

विषयः राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित झीलों, तालाबों, पोखरों आदि के सरंक्षण के लिए संचालित "नगरीय झील/तालाब/पोखर सरंक्षण योजना" के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगरीय निकायों वाला प्रदेश है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 22 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। सबसे अधिक नागर स्थानीय निकायों वाले इस प्रदेश में असंख्य तालाब, पोखरे एवं झील स्थित हैं। वर्तमान पर्यावरणीय परिदृश्य को देखते हुए, जबकि भूगर्भ जल स्तर में निरन्तर गिरावट हो रही है, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गिरते भूजल स्तर को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन पोखरो, झीलों व तालाबों का संरक्षण समय रहते हुए किया जाय। निरन्तर गिरते भूजल स्तर को रोकने, नगरीय क्षेत्रों में पोखरों, तालाबों व झीलों पर हो रहे अतिक्रमण आदि के व्यापक उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2016-17 से नगर विकास विभाग द्वारा **"नगरीय झील/तालाब/पोखर सरंक्षण योजना"** नाम से एक अभिनव योजना प्रारम्भ की जा रही है।

2- **"नगरीय झील/तालाब/पोखर सरंक्षण योजना"** के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराये जाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है-

(1) योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में अवस्थित पोखरों/झीलों/तालाबों के संरक्षण के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(2) प्रस्तावित कार्य स्थल का प्रारम्भिक छायाचित्र/निकाय के कब्जे का विवरण आदि प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

(3) पोखरों/झीलों/तालाबों के संरक्षण हेतु प्रस्ताव में चारों तरफ इण्टरलाकिंग पाथ-वे, लाईट, सीढ़ियां, वाटर हार्वेस्टिंग के उपाय व वृक्षारोपण व उनके 5 वर्षों तक रख-रखाव आदि के मद सम्मिलित किये जा सकते हैं।

(4) प्रस्तावित कार्य उन्हें पोखरों/झीलों/तालाबों के होने चाहिए, जो निकाय के क्षेत्राधिकार में हो तथा विवादित न हों। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जाना होगा।

(5) कार्य के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था संबंधित नागर निकाय या शासन द्वारा नामित संस्था होगी।

(6) झील/तालाब/पोखरों के विकास के उपरान्त उनके रख-रखाव का दायित्व संबंधित नागर निकाय का होगा। इस हेतु संबंधित नागर निकाय द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा। रख-रखाव की व्यवस्था संबंधित नागर निकाय द्वारा आउट सोर्स से की जा सकती है।

(7) रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जायेगी और यदि उसमें सीवर या नाले गिर रहे होंगे, तो उनकी ट्रीटमेन्ट की व्यवस्था भी की जायेगी।

(8) रिटेनिंग वाल तथा बैठने की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(9) आगणनों का गठन वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 की व्यवस्थानुसार कराया जायेगा तथा आगणन अधिशासी अभियन्ता/समकक्ष स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जायेगा।

(11) आगणन का गठन करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा उन्हीं कार्यों को लिया जायेगा, जो झील/तालाब/पोखरों के विकास के लिए आवश्यक हैं।

(12) कार्य योजना/डीपीआर में कार्य के औचित्य तथा आवश्यकता के संबंध में भी रिपोर्ट/संक्षिप्त प्रतिवेदन संलग्न किया जाय।

(13) निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष धनराशि निर्गत होने के पश्चात् स्वीकृत धनराशि में ही कार्य कराया जाना आवश्यक होगा। सामान्यतः लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(14) योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यों को प्रस्तावित किया जायेगा, जो किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित नहीं है अथवा स्वीकृत नहीं है। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। कार्य को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से अंतर्ग्रन्थन (Dovetailing)/अभिसरण (Convergence) किया जा सकता है।

(15) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता का उत्तरदायित्व संबंधित नागर निकाय व कार्यदायी संस्था का होगा।

(16) कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ठीक न होने की स्थिति में व्यय हुए शासकीय धन की वसूली संबंधित अधिकारियों/कार्यदायी संस्था से उनके निजी स्रोतों से नियमानुसार की जायेगी तथा जिसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(17) प्रस्तावित कार्य हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय/आगामी किश्त की धनराशि आवश्यक उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्यों की छायाप्रति तथा कार्य के गुणवत्ता के साथ कराये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जायेगा।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में **अवस्थित झीलों, तालाबों, पोखरों आदि के संरक्षण के लिए संचालित "नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना"** के अन्तर्गत उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/5/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-66/2016/1120(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-,

1- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल/सूडा।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
7- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।